2017

उत्तर प्रदेश नागर वमानन प्रोत्साहन नीति, 2017

नागरिक उड्डयन वभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

(Clearification-In case of any difference in meaning /interpretion between English and Hindi version of this policy, English version will be treated as authentic)

उत्तर प्रदेश नागर वमानन प्रोत्साहन नीति, 2017

विषय सूची

1. परिचय
2. उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 का उद्देश्य
3. उत्तर प्रदेश में विमानन का वर्तमान परिदृश्य
4. हवाई अड्डे एवं संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास
   - 4.1 उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 (IIEPP-2017) के अन्तर्गत प्रोत्साहन
   - 4.2 हवाई पटिटयों का नो-फ्रिल्स हवाई अड्डे/सिविल हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन
   - 4.3 विमान विनिर्माण और क्रय
   - 4.4 विमानन आधारित बुनियादी ढांचा
   - 4.5 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्थलों से जोड़ना
5. एयर कार्गो हब और एम.आर.ओ. सुविधाओं का विकास
6. नागर विमानन के लिए मानव संसाधन का विकास
7. Non-RCS हवाई अड्डों पर कनेक्टिविटी में सुधार
8. रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS-UDAN) पर केन्द्रण और प्रोत्साहन
   - 8.1 RCS स्कीम के तहत राज्य सरकार से अपेक्षाएं
   - 8.2 राज्य सरकार, भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच RCS MoU
   - 8.3 बुनियादी ढांचे का समर्थ बनाना
   - 8.4 परितंत्र को समर्थ बनाना
   - 8.5 राजकोषीय प्रोत्साहन
   - 8.6 RCS मार्गों के लिए प्रोत्साहन और रियायतें

अनुलग्नक-I UP: उत्तर प्रदेश के मुख्य हवाई अड्डों/हवाई पटिटयों का विवरण

अनुलग्नक-II UP: आर.सी.एस. की द्वितीय चरण की बिडिंग में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित नये मार्ग

1. परिचय

नागर विमानन का क्षेत्र आर्थिक विकास और राज्य एवं देश के विकास का enabler है। इस क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रोत्साहनों के माध्यम से underserved और unserved हवाई अड्डों/हवाई पटिटयों/स्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2016 प्राख्यापित की गई है और और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी.एस.) प्रारम्भ की गयी है। ऐसे हवाई अड्डों/स्थानों को RCS हवाई अड्डों/स्थानों के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे स्थानों के साथ-साथ मार्गों को चिन्हित करें और RCS के अन्तर्गत परिकल्पित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन घोषित करें ताकि एयरलाइंस को आकर्षित किया जा सके और नए वायुमार्गों को शुरू किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई व्यापक राज्य नागर विमानन नीति नहीं है। RCS के अन्तर्गत प्रथम चरण की बिडिंग उ0प्र0 की दृष्टि से बहुत सफल नहीं रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एयरलाइंस/एयर ऑपरेटरों को आकर्षित करने के लिए राज्य नागर विमानन नीति विकसित करने की आवश्यकता है ताकि RCS के दूसरे चरण की बिडिंग में underserved और unserved हवाई पटिटयों और शहरों को सम्मिलित किया जा सके। उत्तर प्रदेश नागर विमानन नीति, 2017 का प्रयोजन राज्य में इस क्षेत्र के विकास को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है।

2. उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 का उद्देश्य

- एक अनुकूल कारोबारी वातावरण बनाने, एक सुदृढ़ नागर विमानन अवसंरचना के विकास हेतु पर्याप्त सहायता प्रदान करना और विमानन क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करते हुए निवेश आकर्षित करने में सहायता करना।
- RCS के अन्तर्गत नए वायुमार्गों का विकास करके एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और उत्तर प्रदेश के Non-RCS एयरपोर्ट के मध्य इन्टर-कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।
- भारत के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना।
- व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना।
- एयर कार्गो हब और पूर्ति केंद्रों के विकास को प्रोत्साहन देकर उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के निर्यात, अन्य क्षरण योग्य वस्तुओं के निर्यात, विनिर्माण और ई-कॉमर्स कारोबार को बढ़ावा देना।
- मानव संसाधन विकसित करके एवं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगार के अवसर पैदा कर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना।

3. उत्तर प्रदेश में विमानन का वर्तमान परिदृश्य

उत्तर प्रदेश में हवाई यात्री यातायात में वर्ष 2016-17 में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वर्षानुवर्ष आधार पर यात्रियों की कुल संख्या बढ़कर 61 लाख हो गई है जबकि इस अवधि में एयर कार्गो में गिरावट आयी 2015-16 के 5.91 लाख मीट्रिक टन से घटकर 2016-17 में 5.89 लाख मीट्रिक टन रह गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की वर्तमान अनुमानित आबादी 19 करोड़ 98 लाख है और इस प्रकार प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा का वार्षिक औसत लगभग 0.031 होगा जो राज्य में हवाई परिवहन क्षेत्र में विशाल अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 06 हवाई अड्डे अन्तः-राज्यीय और अन्तर-राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे है-लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा तथा कानपुर। जिसमें से वर्ष 2016-17 में लखनऊ एयरपोर्ट द्वारा हवाई यातायात की 65% मांग को पूरा किया गया है और शेष में से वाराणसी 32%, इलाहाबाद 2.4%, गोरखपुर 0.9%, आगरा 0.2%, तथा कानपुर 0.1% है।

निम्नलिखित ग्राफ द्वारा उत्तर प्रदेश में यात्री यातायात के विकास को दर्शाया गया है:-

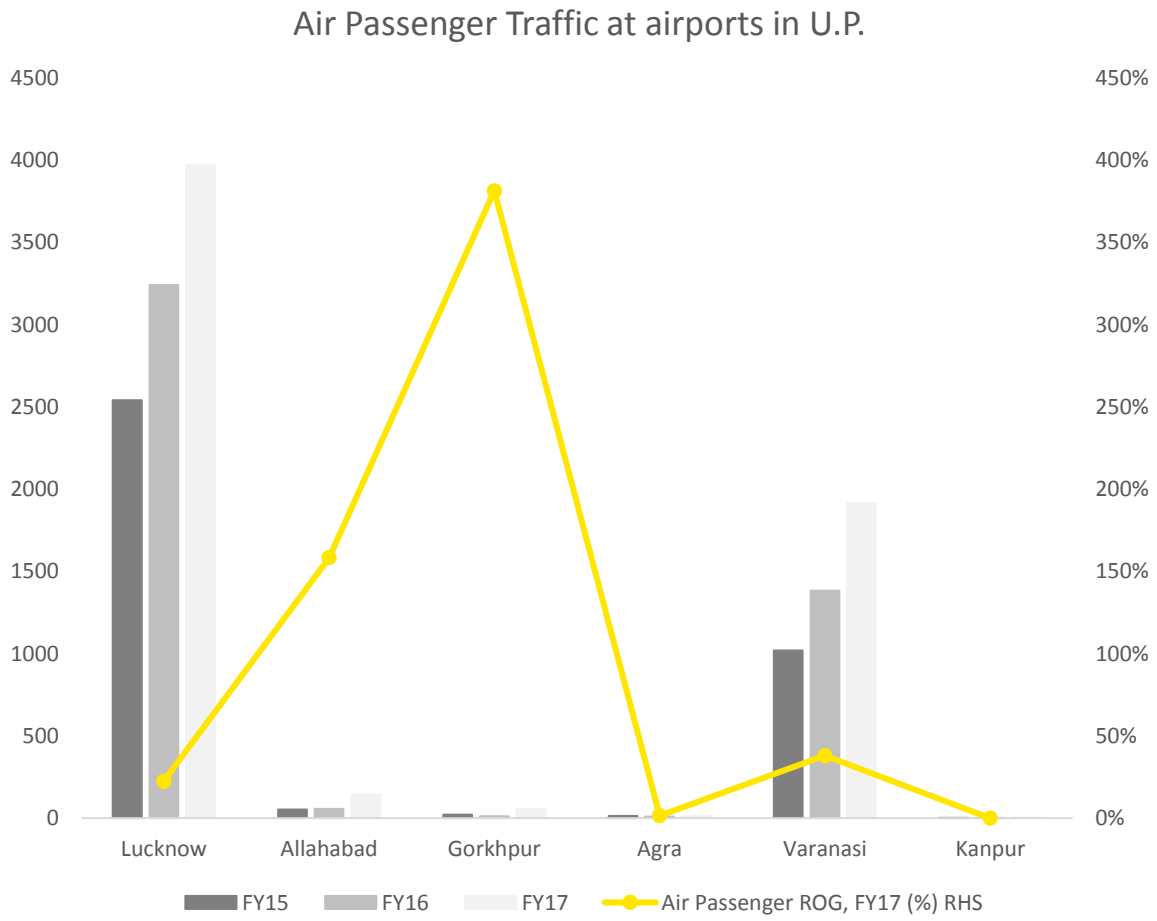

ROG=Rate of Growth
Source: AAI

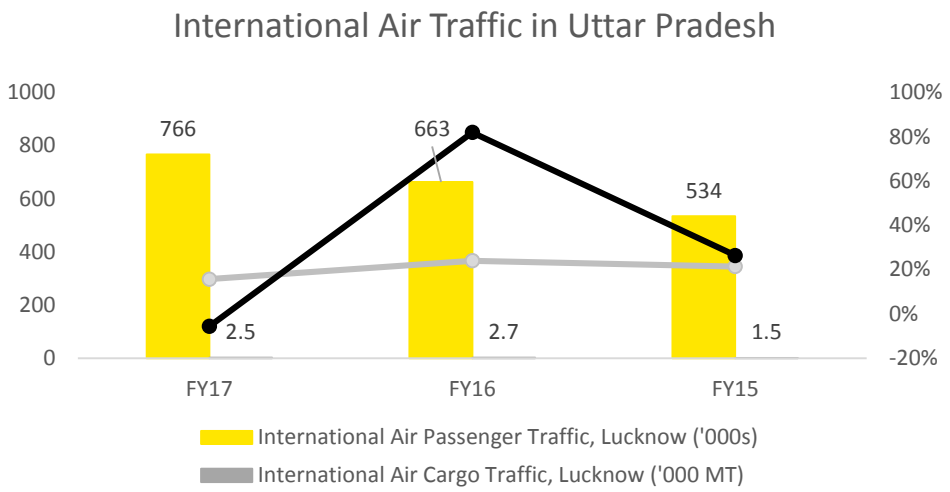

Source: AAI

Source: AAI

उत्तर प्रदेश में 18 मण्डल मुख्यालय और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालयों के लिए हवाई अड्डों/हवाई कनेक्टिविटी की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:-

- लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर के हवाई अड्डे पूरी तरह क्रियाशील हैं।
- आगरा, इलाहाबाद एवं कानपुर स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे क्रियाशील है और यहां सिविल एन्क्लेव्स का निर्माण किया जा रहा है।
- बरेली स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सिविल एन्क्लेव का निर्माण किया जा रहा है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ निष्पादित MoU के माध्यम से मेरठ, मुरादाबाद और फैजाबाद स्थित हवाई पटिटयां को उच्चीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जा चुका है।
- झांसी, चित्रकूट, आजमगढ़, अलीगढ़ मण्डल में राज्य सरकार के स्वामित्व की हवाई पटिटयां विद्यमान है, जिन्हें नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा सकता है। है।
- सोनभद्र (मिर्जापुर मण्डल) और श्रावस्ती (गोण्डा/देवीपाटन मण्डल) स्थित हवाई पटिटयां मण्डल मुख्यालय के बजाय अन्यत्र स्थान पर स्थित हैं जिन्हें नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- सहारनपुर मण्डल में एक सैन्य हवाई अड्डा है, जिसे नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- बस्ती डिवीजन में हवाई अड्डे से सम्बन्धित कोई सुविधा/ढाँचा उपलब्ध नहीं है।

4. हवाई अड्डे एवं सम्बन्धित बुनियादी ढांचे का विकास

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में नागर विमानन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के विकास की संभावनाए विद्यमान है। जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित जेवर में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए भारत सरकार से साइट क्लीयरेन्स पहले ही प्राप्त हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से पी0पी0पी0 मोड पर जेवर में हवाई अड्डे अड्डे का विकास करने के लिए मूल विमानन गतिविधियों के विकास तथा सिटी-साइड विकास के लिए भूमि उपाप्त/अर्जित की जाएगी।

ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों (मौजूद हवाई अड्डों को उन्नत करने के निमित्त) के विकास हेतु भूमि उपाप्ति/अर्जन की लागत का वहन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या दोनों के द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर साझा आधार आधार पर किया जाएगा।

4.1 उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 **(IIEPP**-2017**)** के अन्तर्गत प्रोत्साहन: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 (IIEPP-2017) के प्रस्तर 3.6.2 में यह उल्लेख है-"वायुमार्ग: उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर शहरों में मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। राज्य में एयर कनेक्टिविटी को समुचित रूप से सुधारने हेतु प्रदेश के सभी क्षेत्रों को देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए प्रदेश में नए हवाई अड्डों के विकास की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ ड्राई कार्गो की सुविधाओं, एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स हबों के विकास को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।"

वायु परिवहन के संचालन हेतु समस्त आवश्यक बुनियादी ढांचे-यथा मौजूदा हवाई अड्डों/हवाई पटिटयों/हेलीपैड्स उन्नयन अथवा नये हवाई अड्डों/हवाई पटिटयों/ हेलीपोर्टस/हेलीपैड्स के विकास से सम्बन्धित निवेश को पात्रतानुसार वही Incentives/concessions अनुमन्य होंगे जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 (IIEPP-2017) के प्रस्तर-5 में अनुमन्य हैं।

4.2 हवाई पटिटयों का नो-फ्रिल हवाई अड्डे/सिविल हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन: RCS Bidding में चयनित हवाई अड्डों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से नो-फ्रिल्स हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार के पास स्वयं अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एस.पी.वी./कम्पनी बनाने का विकल्प उपलब्ध है, जो हवाई अड्डों का विकास, हवाई

पटिटयों का नो-फ्रिल्स सिविल हवाई अड्डों के रूप में उच्चीकरण व इनका प्रबन्धन कर सकती है। राज्य सरकार पी0पी0पी0 मोड पर हवाई अड्डों के विकास अथवा उन्नयन की संभावनाओं को तलाश सकती है। उक्त नो-फ्रिल्स हवाई अड्डे के बाद में आवश्यकतानुसार उच्चीकृत किये जा सकते है। जैसा कि राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2017 के पैरा 4D में इंगित है, हवाई पटिटयों को नो-फ्रिल्स हवाई अड्डों के रूप में विकसित करने के लिए उच्चीकरण लागत और समस्त उपकरणों व फर्नीचर आदि की लागत का वहन रू0 50 करोड़ से रू0 100 करोड़ तक की एक सांकेतिक लागत तक भारत सरकार द्वारा बिना वित्तीय व्यवहार्यता पर जोर दिये किया जाएगा।

4.3 विमान विनिर्माण और क्रय: "मेक इन इण्डिया" और "मेक इन यू.पी." को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश में निर्मित व असेम्बल किये जाने वाले वायुयानों/ हेलीकाप्टरों पर उत्तर प्रदेश को प्राप्य S-GST की प्रतिपूर्ति 10 वर्षों के लिए या अधिकतम 10 इकाईयों तक की जाएगी।

यदि एयरलाइंस कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्मित या असेम्बल किए गए गए वायुयान/हेलीकॉप्टर को क्रय किया जाता है और उसका उपयोग कम से कम 5 वर्ष के लिए मुख्यत: उत्तर प्रदेश के वायुमार्गों* (*ऐसे मार्ग जहां से कम से कम 50% टेकऑफ उ0प्र0 में स्थित हवाई अड्डों से हो) पर किया जाता है, तो निम्नलिखित प्रोत्साहनों की पात्र होंगी:

क. पात्रतानुसार विमान के क्रय की लागत हेतु Incentives/concessions अनुमन्य होंगे जो कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 (IIEPP-2017) के प्रस्तर-5 के अन्तर्गत संयंत्र और मशीनरी पर निवेश हेतु अनुमन्य हैं।

4.4 विमानन आधारित बुनियादी ढांचा: उत्तर प्रदेश में सभी हवाई अड्डों पर विमान के रखरखाव, ग्राउण्ड हैण्डलिंग सुविधाएं, एयर कार्गो, वेयर हाउसिंग सुविधाएं और यात्री परिवहन सुविधाओं आदि विमानन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के विकास पर होने वाले व्यय/निवेश पर पात्रतानुसार वही Incentives/concessions (संयन्त्र और मशीनरी हेतु लिए गए ऋण पर ढांचागत ब्याज सब्सिडी, जैसी स्थिति हो, को सम्मिलित करते हुए) अनुमन्य होंगे जो कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 (IIEPP-2017) के अन्तर्गत प्रस्तर-5 में अनुमन्य होंगे।

4.5 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्थलों से जोड़ना: राज्य सरकार अपने हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों को

अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के साथ जोड़ने हेतु इच्छुक एयरलाइनों को द्विपक्षीय अधिकारों के तहत अपने हवाई अड्डों को शामिल करने के निमित्त सुविधा प्रदान करेगी।

5. एयर कार्गो हब और एम.आर.ओ. सुविधाओं का विकास

5.1 एयर कार्गो हब विमानन उद्योग के लिए विकास के कर्णधारक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश लगभग 19 करोड़ 90 लाख की जनसंख्या के साथ भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है। राज्य सरकार रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास पर ध्यान देने के साथ-साथ विमानन क्षेत्र के विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में एयर कार्गो हब एवं तत्सम्बन्धी सुविधाओं का विकास और लॉजिस्टिक संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास करने हेतु किये जाने वाले निवेश को यथापात्रता वही Incentives/concessions अनुमन्य होंगे जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 (IIEPP-2017) के प्रस्तर-5 के अन्तर्गत इस तरह के निवेश के लिए अनुमन्य हैं।

5.2 राज्य सरकार द्वारा सक्षम आधारभूत ढांचा, fulfillment centres के विकास में सहायता सहायता और नव प्रचलित ई-कॉमर्स व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

5.3 एयर कार्गो और लॉजिस्टिक कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेन्स सुविधा के साथ विशेष सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

5.4 विमानन क्षेत्र में विकास के लिए विमानों हेतु पर्याप्त Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में मौजूद हवाई अड्डों अथवा नये स्थानों पर MRO स्थापित करने के लिए प्रस्तावों को प्रोत्साहित करेगी। गौतमबुद्धनगर जिले में प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डे के निकट MRO Hub के विकास की पर्याप्त सम्भावना है। हैंगर और अन्य ऐसी आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु किए जाने वाले निवेश पर यथापात्रता प्रोत्साहन एवं रियायतें उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 (IIEPP-2017) के प्रस्तर-5 के अनुरूप अनुमन्य होंगी।

5.5 उत्तर प्रदेश में MRO स्थापना हेतु MRO Job Contract पर घरेलु या अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए लगने वाले S-GST की 100% प्रतिपूर्ति वित्तीय प्रोत्साहन के तौर पर की जाएगी। साथ ही, विमानों के रख-रखाव के लिए उपयोग किये जाने वाले पुर्जों अथवा अन्य सामग्री के क्रय पर अधिरोपित S-GST की 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी। इन प्रोत्साहनों को दस साल तक प्रदान किया जाएगा।

5.6 राज्य से कृषि उत्पादों के निर्यात और क्षरणीय (perishable) वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हवाई अड्डों पर इन commodities के समुचित रख-रखाव की व्यवस्था/सुविधा विकसित करेगी।

6. नागर विमानन के लिए मानव संसाधन का विकास

6.1 नागर विमानन क्षेत्र के विकास हेतु प्रशिक्षित श्रमशक्ति जैसे पायलट, विमान अनुरक्षण अनुरक्षण अभियन्ता, ग्राउंड हैंडलिंग प्रोफेशनल, केबिन क्रू, आई.टी. और सपोर्ट सर्विस प्रोफेशनल, एयरपोर्ट प्रोफेशनल आदि की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा आई.आई.टी., एन.आई.टी., लखनऊ/इलाहाबाद/अलीगढ़/आगरा/वाराणसी/रूहेलखण्ड/ मेरठ/ विश्वविद्यालय जैसे प्रदेश के अग्रणी संस्थानों/विश्वविद्यालयों आदि को नागर विमानन के क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति और प्रोफेशनल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.2 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में छह निजी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (अलीगढ़ में तीन, फैजाबाद सुल्तानपुर और कानपुर में एक-एक) एवं अमेठी में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी क्रियाशील है जो DGCA द्वारा अनुमोदित कामर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) पाठ्यक्रम संचालित करते है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाल एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ATI), लखनऊ में एयरफ्रेम एंड इंजन, एवियोनिक्स, हेलीकॉप्टर संचालन और पावर प्लांट में ए.एम.ई. डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जाता है। विमानन प्रोफेशनल्स के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न सहायतायें प्रदान की जाएगी-

6.2.1 राज्य सरकार ए.एम.ई., केबिन क्रू और अन्य नागर विमानन प्रोफेशनल से सम्बन्धित पाठयक्रमों के लिए, डिप्लोमा और ग्रेजुएट कोर्स के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करेगी।

6.2.2 उत्तर प्रदेश के आकांक्षी विमानन प्रोफेशनल्स को एयरलाइंस कम्पनियों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए निदेशालय स्तर पर एक विशेष सेल बनाया जाएगा।

7. **Non-RCS** हवाई अड्डों पर कनेक्टिविटी में सुधार

Unserved और Underserved हवाई अड्डों पर हवाई कनेक्टिविटी से सम्बन्धित कार्य RCS स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी स्थित उत्तर प्रदेश के तीन Non-RCS हवाई अड्डे वर्तमान में आपस में जुड़े नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा Non-RCS हवाई अड्डों की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर करने के निमित्त अल्प अवधि के लिए कतिपय प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।

Non-RCS हवाई अड्डों के लिए इस प्रकार के प्रोत्साहन प्रारम्भिक रूप से एक वर्ष के लिए दिए जायेंगे और ये केवल प्रथम बिडर/प्रस्तावक के लिए प्रति मार्ग एक उड़ान की सीमा तक मान्य होंगे। बिडिंग प्रक्रिया में कई बिडर्स के होने पर उस बिडर के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा जो वित्तीय रूप से न्यूनतम incentives पर सहमत होगा। केवल डीजीसीए मानदंडों और मानकों को पूरा करने वाले एयरलाइंस/एयर ऑपरेटर ही इसमें पात्र होंगे।

7.1 उत्तर प्रदेश के Non-RCS हवाई अड्डों को उत्तर प्रदेश के अथवा बाहर के Non-RCS हवाई अड्डों के साथ जोड़ने के प्रावधान:

उत्तर प्रदेश के Non-RCS हवाई अड्डों को उत्तर प्रदेश के अथवा बाहर के Non-RCS हवाई अड्डों के साथ जोड़ने वाली समस्त नई उड़ानों को दिनांक 01.04.2017 से (जो मूल स्थान और गन्तव्य स्थान से सीधी उड़ान से नहीं जुड़े थे) निम्नलिखित प्रोत्साहन/रियायतें प्रदान की जायेंगी:

7.1.1 ऐसे नए मार्गों पर संचालन की तिथि से एक वर्ष के लिए ATF पर वैट में छूट प्रदान की जाएगी।

7.1.2 नई उड़ानों के टिकटों की बिक्री पर S-GST की प्रतिपूर्ति: नई उड़ानों पर एयर टिकट की बिक्री से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले S-GST की प्रतिपूर्ति एयरलाइंस को ऑपरेशन की तिथि से एक वर्ष के लिए मासिक आधार पर की जाएगी।

7.2 उत्तर प्रदेश में Interconnecting Non-RCS हवाई अड्डों के लिए अतिरिक्त प्रावधान:

लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर वर्तमान में आपस में हवाई कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं। किसी भी विमान को नए रूट (लखनऊ-गोरखपुर, लखनऊ-वाराणसी तथा वाराणसी-गोरखपुर) पर संचालन हेतु निम्न प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे:

1. कुल सीटों का 50% (अर्थात् < = 40 सीटें) पर राज्य के VGF Share के बराबर क्षतिपूर्ति (अर्थात् रू0 400/- प्रति सीट)।
2. सीट अंडरराइटिंग @ 2500/- प्रति रिक्त सीट (कुल सीटों के 15% पर, प्रति माह अधिकतम 360 सीटें प्रति एक तरफ की यात्रा)। सीट अंडरराइटिंग की गणना मासिक आधार पर की जाएगी (दैनिक आधार पर नहीं) अर्थात् एक महीने में प्रति मार्ग कुल मासिक रिक्त सीटों की गणना की जाएगी और सीट अंडरराइटिंग कुल मासिक रिक्त सीटों पर लागू होगा। सीट अंडरराइटिंग का लाभ लेने हेतु RCS उड़ानों के समान प्रक्रिया का अनुकरण किया जाएगा।

8. रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम **(RCS-UDAN)** के तहत केन्द्रण और प्रोत्साहन

भारत सरकार द्वारा Underserved और Unserved हवाई अड्डों को जोड़कर सामान्य व्यक्ति को को किफायती दरों पर हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 2016 आरम्भ की गयी है। RCS योजना का सूत्र वाक्य Ude Desh Ka Aam Nagrik (UDAN) है।

इस नीति में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अर्थ वही होगा, जैसा कि भारत सरकार की RCS नीति में परिभाषित किया गया है। भारत सरकार की RCS स्कीम में परिभाषा में कोई भी परिवर्तन स्वत: इस नीति पर भी लागू होगा, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो।

Underserved Airports- वे हवाई अड्डें हैं जहां पर DGCA द्वारा अनुमोदित नवीनतम उड़ान कार्यक्रम के अनुसार प्रति सप्ताह 7 से अनधिक शिड्यूल्ड कामर्शियल फ्लाईट का प्रस्थान होता है।

Unserved Airports- वे हवाई अड्डें हैं जहां पर DGCA द्वारा अनुमोदित पिछली 2 फ्लाईट शिड्यूल से किसी फ्लाईट का संचालन नहीं होता हो।

RCS के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्रमुख भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार एयर ऑपरेटरों को प्रोत्साहन देकर उनके बिजनेस को व्यवहार्य बनाते हुए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को बढ़ावा देगी और साथ ही RCS उड़ानों के हवाई किराये को कम करके वहन योग्य बनायेगी। केवल DGCA मानदंडों और मानकों को पूरा करने वाले एयरलाइंस/ एयर ऑपरेटर इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे। राज्य सरकार के दायित्वों के संबंध में RCS के सभी अनिवार्य प्रावधान स्वत: लागू होंगे।

राज्य द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन केवल बिडर/प्रस्तावक के लिए प्रति मार्ग एक एक उड़ान की सीमा तक मान्य होंगे। बिडिंग प्रक्रिया में कई बिडर्स के होने पर उस बिडर के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा जो वित्तीय रूप से न्यूनतम incentives पर सहमत होगा।

8.1 **RCS** स्कीम-राज्य सरकारों से अपेक्षाएं

RCS नीति 2016 के प्रस्तर 2.1.2.3 के अनुसार, राज्यों द्वारा अपने राज्य में RCS हवाई अड्डे पर निम्नलिखित प्रोत्साहन/सुविधाएँ दी जायेंगी:-

8.1.1 इस योजना की अधिसूचना की तिथि से दस (10) वर्षों की अवधि के लिए राज्य के भीतर स्थित RCS हवाई अड्डे पर ATF पर 1% वैट या उससे कम। GST लागू होने के बाद, GST के अनुसार दरें निर्धारित की जायेंगी और

अनुमन्य छूट/प्रोत्साहन दिये जायेंगे ताकि इस प्रकार के न्यूनतम कराधान आदर्श रूप से जारी रह सकें।

8.1.2 तेल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ समन्वय।

8.1.3 RCS हवाई अड्डे के विकास के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की यथावश्यकता नि:शुल्क और समस्त भारमुक्त रूप में व्यवस्था करना और बहुआयामी कनेक्टिविटी (सड़क, रेल, मेट्रो, जलमार्ग आदि) प्रदान करना।

8.1.4 सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा लागू किये गये मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसार प्रशिक्षित कर्मियों और उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से RCS हवाई अड्डे पर सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं की नि:शुल्क सुविधा।

8.1.5 RCS हवाई अड्डे पर रियायती दरों पर प्रत्यक्ष या उचित माध्यमों द्वारा बिजली, पानी और अन्य उपयोगी सेवाओं का प्राविधान करना।

8.1.6 संबंधित RCS Route (राज्य से संबंधित) के लिए VGF के माध्यम से निश्चित हिस्सेदारी (20%) का प्रावधान, भारत और संघ शासित प्रदेशों के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों का हिस्सा (10%) होगा।

राज्य सरकारों द्वारा यात्री सीटों के अंडरराइटिंग जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों को दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है ताकि ऑपरेटर को अतिरिक्त समर्थन से प्रोत्साहित किया जा सके। संदेह दूर करने के लिए, इस योजना के तहत चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली अतिरिक्त अतिरिक्त रियायतों/प्रोत्साहन लेने से वंचित नहीं किया जाएगा।

8.2 राज्य सरकार, भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच **RCS MoU**

मा0 मंत्रि परिषद (उ0प्र0) से अनुमोदन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए गये हैं जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जायेंगी:

8.2.1 राज्य सरकार द्वारा RCS हवाई अड्डों और राज्य के अन्य हवाई अड्डों से होने होने वाली RCS उड़ानों के लिए MoU की सम्पूर्ण अवधि के लिए ATF पर लगने वाले वैट की दर को घटाकर 1% किया जाएगा।

8.2.2 राज्य सरकार द्वारा RCS हवाई अड्डों के विकास और विस्तार के लिए न्यूनतम भूमि यथावश्यकता नि:शुल्क और समस्त भारमुक्त रूप में उपलब्ध

करायी जायेगी और बहुआयामी कनेक्टिविटी (सड़क, रेल, मेट्रो, जलमार्ग आदि) भी प्रदान की जाएगी।

8.2.3 राज्य सरकार द्वारा RCS हवाई अड्डों पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जायेंगी।

8.2.4 राज्य सरकार द्वारा RCS हवाई अड्डों पर बिजली, पानी और अन्य उपयोगी सेवाएं लागू कानून के अधीन रियायती दरों पर प्रदान की जायेंगी या कराई जायेंगी।

8.2.5 राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अनुसार निर्धारित VGF का 20% हिस्सा प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने के तीन महीने के अंदर राज्य सरकार को अपने VGF शेयर की प्रतिपूर्ति आवश्यक रूप से करनी होगी। यदि राज्य सरकार प्रतिपूर्ति नहीं करती है, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस के एक माह की अवधि में प्रतिपूर्ति नही कर पाने पर केंद्र सरकार/कार्यान्वयन संस्था द्वारा राज्य के हवाई हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए स्कीम के अन्तर्गत किए गए राज्य के प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

8.2.6 RCS के अंतर्गत उड़ान क्षमता (40 सीट तक सीमित) की 50% सीटों पर VGF प्रदान करने के अलावा राज्य सरकार द्वारा RCS उड़ान क्षमता (40 सीट तक सीमित) की बची हुई 50% Non-VGF सीटों पर अण्डरराइटिंग के रूप में लाभ के इच्छुक चयनित एयरलाइन आपरेटरों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जा सकते है। Non-VGF सीटों पर उक्त अण्डरराईटिंग निम्नलिखित शर्तों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा।

8.2.7 राज्य सरकार द्वारा 30% Non-VGF सीटों पर अण्डरराईटिंग की सुविधा उन्हीं सीटों के लिए प्रदान की जाएगी जो खाली रह जाएंगी। खाली सीटों की प्रतिपूर्ति रू0 2500/- प्रति सीट प्रति उड़ान प्रति घंटे की दर से की जाएगी।

8.2.8 राज्य सरकार द्वारा इन underwrite Non-VGF सीटों का उपयोग राज्य सरकार के कार्मिकों की शासकीय यात्राओं के प्रयोजनार्थ बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जा सकेगा।

8.2.9 NCAP 2016 और स्कीम दस्तावेज में यथा अधिदेशित concessions राज्य सरकार द्वारा जारी रखना आवश्यक होगा। प्रश्नगत योजना के प्रभावी कार्यकाल के दौरान यदि राज्य सरकार निर्दिष्ट रियायतें बंद कर देती है तो इन रियायतों को तत्काल पुन: प्रारम्भ करना राज्य सरकार के लिए आवश्यक

होगा। रियायतें रद्द होने की तारीख से एक माह के भीतर यदि इन्हें पुनः शुरू शुरू नहीं किया जाता है तो केंद्र सरकार/कार्यान्वयन संस्था द्वारा राज्य के हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए स्कीम के अन्तर्गत किए गए राज्य के प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

मा0 मंत्रिपरिषद के पूर्व निर्णय के उपरोक्त प्रावधान सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त उस सीमा तक संशोधित हो जायेंगे जैसा कि इस नीति में दर्शाया गया है।

8.3 बुनियादी ढांचे को समर्थ बनाना

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 2016 के बिड डाक्यूमेन्ट के अनुसार अनुलग्नक-1A और 1B में उल्लिखित उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों/हवाई पटिटयों को RCS एयरपोर्टस के रूप में चिन्हित किया गया है, जो एक सांकेतिक सूची है और जिसका पुनरीक्षण किया जा रहा है। RCS हवाई अड्डों की अन्तिम सूची भारत सरकार द्वारा RCS की द्वितीय चरण की बिडिंग से पूर्व अथवा बिडिंग के दौरान प्रकाशित की जाएगी।

8.3.1 RCS 2016 सूची के अनुलग्नक-1A के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 02 हवाई अड्डे/हवाई पटिटयां underserved के रूप में चिन्हित की गई है-

उत्तर प्रदेश के **underserved** हवाई अड्डे/हवाई पटिटयां	
12. आगरा	13. इलाहाबाद

8.3.2 RCS 2016 सूची के अनुलग्नक-1B के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 29 हवाई अड्डे/हवाई पटिटयां unserved के रूप में चिन्हित की गई है-

उत्तर प्रदेश के **unserved** हवाई अड्डे/हवाई पटिटयां					
330	अकबरपुर	340	जगतपुर	350	म्योरपुर (कोरबा)
331	अलीगढ़	341	झांसी	351	फाफामऊ
332	बक्शी का तालाब	342	झिंगुरा	352	पृथ्वीगंज
333	बरेली	343	कानपुर (चकेरी)	353	रजवारी
334	इटावा	344	कानपुर (सिविल)	354	सहारनपुर (सरसावा)
335	फैजाबाद	345	कानपुर (कल्यानपुर)	355	शा-बाज-कुली
336	फुर्सतगंज (इग्गुआ)	346	कसया	356	सरदारनगर
337	गाजीपुर	347	ललितपुर	357	श्रावस्ती
338	हिन्डन	348	माधोसिंह	358	सुल्तानपुर (अमहट)
339	इरादतगंज	349	मेरठ		

8.3.3 निम्नलिखित हवाई पटिटयों को RCS में unserved हवाई अड्डों/हवाई पटिटयों की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जा रहा है:-

1	मुरादाबाद	4	पलिया (खीरी-दुधवा)
2	आजमगढ़	5	फर्रूखाबाद
3	चित्रकूट	6	कानपुर देहात (रसूलाबाद)

8.3.4 आगरा, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी, कुशीनगर, इलाहाबाद, लखनऊ, नैमिशारण्य, अयोध्या, झांसी, चित्रकूट, सारनाथ, दुधवा, चंद्रप्रभा, महोबा, चुनार और देवगढ़ उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर्यटन स्थल है।

8.3.5 उपरोक्त में से आगरा, वाराणसी/सारनाथ, कुशीनगर, इलाहाबाद, लखनऊ, अयोध्या/फैजाबाद, झांसी, चित्रकूट, दुधवा (पलिया हवाई पट्टी) में क्रियाशील हवाई अड्डे/हवाई पटिटयां विद्यमान हैं।

8.3.6 निम्नलिखित पर्यटक स्थलों को जोड़ने क लिए राज्य सरकार द्वारा हेलीपैड/ हेलीपोर्टस बनाने पर विचार किया जाएगा: वृंदावन, मथुरा, नैमिशारण्य, चंद्रप्रभा, महोबा, चुनार, देवगढ़।

8.3.7 राज्य सरकार RCS हवाई अड्डों को विकसित और संचालित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से आग्रह कर सकती है अथवा राज्य सरकार RCS योजना के तहत लिए जाने वाले हवाई अड्डों का विकास, उन्नयन और संचालन करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ SPV का गठन या तो स्वयं अथवा नागरिक उड्डयन निदेशालय के माध्यम से अपनी एक कम्पनी का गठन कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा आरम्भ में 10 मण्डलों में 10 हवाई पटिटयों को नो-फ्रिल्स हवाई अड्डे के रूप में अपग्रेड करने की सम्भावना है: मेरठ, मुरादाबाद, फैजाबाद, सहारनपुर, झांसी, चित्रकूट, आजमगढ़, अलीगढ़, सोनभद्र (मिर्जापुर) और श्रावस्ती (गोंडा/देवीपाटन)। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बरेली में वायुसेना के हवाई अड्डे पर एक सिविल एन्क्लेव का विकास किया जा रहा है। 4 मण्डल मुख्यालयों गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एवं आगरा में क्रियाशील हवाई अड्डे हैं। इससे राज्य की राजधानी से 15 मण्डल मुख्यालयों (कानपुर और बस्ती को छोड़कर) के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। किसी हवाई अड्डे के विकास/ उच्चीकरण के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त भूमि को नि:शुल्क एवं समस्त भार मुक्त रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

8.3.8 कुशीनगर, कानपुर, हिण्डन (गाजियाबाद), पलिया (खीरी-दुधवा नेशनल पार्क के पास) भी ऐसे अन्य हवाई अड्डे/हवाई पटिटयां है जहां से आर.सी.एस. उड़ानें सफलतापूर्वक देश के अन्य भागों से जुड़ से सकती हैं।

8.3.9 यदि RCS के परिणामस्वरूप लखनऊ हवाई अड्डे की क्षमता के दृष्टिगत यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है तो बक्शी का तालाब स्थित वायुसेना के स्वामित्व वाली हवाई पट्टी को RCS उड़ानों के संचालन के लिए लखनऊ में वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में उपयोग किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

8.3.10 उत्तर प्रदेश में स्थित RCS हवाई अड्डों के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जायेंगी:-

- RCS हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था।
- नि:शुल्क अग्निशमन सेवा।
- रियायती दरों पर बिजली।
- नि:शुल्क जल आपूर्ति।
- तेल विपणन कम्पनियों के माध्यम से RCS हवाई अड्डे पर ATF रिफ्यूलिंग।
- एम्बुलेन्स और मेडिकल सुविधाएं।
- आस-पास के मुख्य नगरों से बस कनेक्टिविटी।

8.4 परितंत्र को समर्थ बनाना

8.4.1 राज्य सरकार द्वारा आर.सी.एस. उड़ानों में निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय प्रयोजनार्थ अथवा LTC पर हवाई यात्रा करने की सुविधा अनुमन्य की जाएगी:-

1. अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) के अधिकारियों को देश में किसी भी RCS उड़ान में।
2. PCS एवं PPS अधिकारियों को RCS की ऐसी उड़ानों में जिनका प्रारम्भ व गन्तव्य उत्तर प्रदेश से होगा।
3. समूह-'क' के अधिकारियों को RCS की ऐसी उड़ानों में जिनका प्रारम्भ व गन्तव्य उत्तर प्रदेश से होगा।
4. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी (जो हवाई यात्रा के लिए अनुमन्य नहीं है) को RCS की ऐसी उड़ानों में जिनका प्रारम्भ व गंतव्य उत्तर प्रदेश से होगा।

8.4.2 राज्य सरकार द्वारा सूचना विभाग एवं पर्यटन विभाग के माध्यम से RCS वायुमार्गों के लिए प्रचार करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

8.4.3 हवाई अड्डों पर एम्बुलेंस सेवा और चिकित्सा सुविधाएं राज्य सरकार के मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नि:शुल्क रूप में उपलब्ध करायी जायेंगी।

8.4.5 RCS हवाई अड्डों के लिए रोड कनेक्टिविटी लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राथमिकता पर विकसित की जाएगी।

8.4.6 उत्तर प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए- राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एयरलाइंस को प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों के साथ समन्वय का कार्य किया जाएगा।

8.5 राजकोषीय प्रोत्साहन

8.5.1 निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश इस उद्देश्य के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होंगे। उनके द्वारा वांछित प्रपत्र बनाये जायेंगे, अभिलेखों का रख-रखाव किया जाएगा, प्रस्तावों को प्राप्त किया जाएगा व प्रक्रिया पूर्ण कर निर्णय लिए जाने आदि से सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा RCS रूट्स पर Non-VGF सीट्स के निर्धारण हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।

8.5.2 **RCS** के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में **RCS** हवाई अड्डे से आरम्भ या समाप्त होने वाली उड़ानों के लिए प्रोत्साहन:

8.5.2.1 01.04.2017 के बाद शुरू होने वाली सभी RCS उड़ानों पर दस वर्ष के लिए ATF पर लगने वाले वैट को माफ किया जाएगा।

8.5.2.2 कुल सीटों (< 40 सीटों) में से VGF सीटों i.e. 50% (< 20 सीटें) पर RCS के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि तक राज्यांश के रूप में राज्य द्वारा VGF का 20% हिस्सा प्रदान किया जाएगा।

8.5.2.3 सीट अण्डरराईटिंग

अ : <u>प्रावधान</u> :

1. RCS के अन्तर्गत किए गए वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी-1 के एयरक्राफ्ट (यात्री सीट क्षमता < = 20 व RCS मार्गों पर लखनऊ को मण्डल मुख्यालयों से जोड़ने वाली सीधी उड़ानें, Non-VGF सीटों का 100 प्रतिशत (अधिकतम 300 सीट प्रतिमाह प्रति रूट प्रति वन-वे ट्रिप)

वायुसेवा संचालन आरम्भ होने की तिथि से प्रारम्भिक 03 वर्षों के लिए राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली सीट अण्डरराईटिंग के लिए अर्ह होंगी। होंगी।

2. श्रेणी 2 और 3 के अन्तर्गत आने वाले विमान (यात्री सीट क्षमता >20), या ऊपर वर्णित उपबन्ध-1 में इंगित कनेक्टिविटी से इतर जुड़ने वाले अन्य RCS हवाई अड्डे Non-VGF सीटों का 30 प्रतिशत (अधिकतम 360 सीट प्रतिमाह प्रति रूट प्रति वन-वे ट्रिप) वायुसेवा संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से प्रारम्भिक 03 वर्षों के लिए राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली सीट अण्डरराईटिंग के लिए अर्ह होंगी।

ब : <u>कार्यान्वयन की प्रक्रिया</u> :

1. सीट अंडरराइटिंग की गणना मासिक आधार पर की जाएगी (दैनिक आधार पर नहीं) अर्थात् कुल रिक्त सीटों की गणना मासिक आधार पर की जाएगी और मासिक आधार पर कुल रिक्त सीटों के अनुसार सीट अंडरराइटिंग लागू होगा।
2. यदि एयरलाइन ऑपरेटर सीट अंडरराइटिंग का लाभ लेना चाहते है तो राज्य सरकार द्वारा Non-VGF सीटों को पूर्वोल्लिखित व्यवस्थानुसार-रिक्त रिक्त सीटों की रू0 2500/- प्रति सीट की दर से प्रतिपूर्ति करते हुए-अण्डरराईट किया जाएगा।
3. राज्य सरकार इन अन्डरराईट नॉन-वीजीएफ सीटों का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त लागत के, राज्य सरकार के अधिकारियों की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगी।
4. Non-VGF सीटों के विक्रय/निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

   Non-VGF सीटों का विक्रय न होने की दशा में एयरलाइंस के लिए सीट अंडरराइटिंग सम्बन्धी प्रावधानों को सुगम बनाने हेतु एयरलाइन्स और राज्य सरकार के मध्य पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था हेतु एक इन्टरनेट सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इसका संचालन व निगरानी निम्नानुसार की जाएगी:

   i. Non-VGF सीट्स का किसी भी दर पर खुले बाजार में विक्रय करने का एयरलाइन्स द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा।
   ii. बिना बिकी सीटों की सूचना, जिन पर एयरलाइन्स अंडरराइटिंग की सुविधा (अन्डरराईटिंग के प्रावधानों की सीमा तक) चाहती हैं, उड़ान

से 24 घंटे पूर्व एयरलाइन्स द्वारा उक्त इन्टरफेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी।

iii. उक्त सूचना के आधार पर नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को ये सीटें निर्धारण हेतु उपलब्ध होंगी।

iv. राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा इन सीटों का राजकीय अधिकारियों की आवश्यकतानुसार आवंटन/उपभोग किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित/उपभोग की गई सीटों को 'Allocated' के रूप में इंगित किया जायेगा, उपभोग न किए जाने की दशा में ये सीटे 'Unsold' और 'Unallocated' के रूप में इंगित की जायेंगी।

v. इस प्रकार की 'Unsold' और 'Unallocated' सीटों को प्रस्थान से पहले किसी भी समय एयरलाइनों द्वारा वापस लिया जा सकता है यदि वे इन्हें खुले बाजार में बेच सकते है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा ऐसी सीटों के लिए प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

vi. नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित की गई सीटें अथवा अन्ततः खाली रह गई सीटें राज्य सरकार को अंडरराइटिंग की दर पर बेंची गई मानी जायेंगी।

vii. सीट अन्डरराईटिंग सम्बन्धी प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के लिए एयरलाइन्स को राज्य सरकार से मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

8.5.3.4 **RCS** उड़ानों पर हवाई टिकटों की बिक्री के लिए **S-GST** की प्रतिपूर्ति

RCS उड़ानों के हवाई टिकटों की बिक्री से राज्य सरकार को प्राप्य S-GST की प्रतिपूर्ति एयरलाइन्स को मासिक आधार पर की जाएगी।

8.5.3.5 **RCS** हवाई अड्डों पर पार्किंग/नाईट हाल्ट

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन RCS हवाई अड्डों पर एयरलाइन्स को पार्किंग/नाईट हाल्ट चार्जेज से छूट प्रदान की जाएगी।

8.5.3.6 **RCS** हवाई अड्डों पर **Free Office Space**

उत्तर प्रदेश के नो-फ्रिल्स हवाई अड्डों पर कार्यालय हेतु लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान पट्टे पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

8.5.3.7 रूट नेवीगेशन और फैसिलिटेशन चार्जेज **(RNFC)**

लखनऊ को मण्डल मुख्यालय से जोड़ने वाली उड़ानों या RCS हवाई अड्डों पर (प्रारम्भिक रूप से 3 वर्षों के लिए) आर.एन.एफ.सी. की 50 प्रतिशत धनराशि जो दो हजार रूपए से अनधिक होगी, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8.6 आर.सी.एस. के लिए प्रोत्साहन/रियायतें सारांश के रूप में

S. No.	Description of Incentive/Concession	Incentives/Concessionsfor RCS Routes/Airports
Mandatory Support by State Government under RCS and MoU		
1	VAT on ATF	Zero for 10 years
2	Viability Gap Funding (for 50% of total seats)	20% state share as per RCS
3	Security arrangements at RCS Airports [Mandatory support by State Government under RCS]	Will be provided by the State Government
4	Fire Services	Will be made available by the State Government free of cost
5	Electricity	Will be made available by the State Government at concessional rate (Rate of subsidy will be Rs 4/Unit upto 30000 units per month)
6	Water	Will be made available by the State Government free of cost
7	Provision of ATF fueling facilities at RCS airports	The State Government will facilitate and provide necessary land at zero rental to Oil Marketing Companies to develop ATF fueling facilities at RCS Airports owned by the State Government
8	Road Connectivity	Road Connectivity for all RCS airports will be ensured and maintained by the PWD Department of GoUP from its own resources.
9	Bus service to the nearby main city	Bus Service to all RCS airports will be ensured and maintained by UPSRTC.
10	Ambulance and Medical facilities	Will be made available by the Medical & Health Department of the State Government
Additional support by state government		
11	Underwriting of Non VGF Seats (from remaining 50% of Total seats) @Rs 2500/underwritten seat	100%- For category-1 Aircraft connecting Lucknow with Divisional Headquarters (initially for 3 years) 30% - for other categories of Aircraft or on other routes (initially for 3 years)
12	Reimbursement of S-GST on sale of air tickets on RCS flights as applicable	100% reimbursement initially for 3 years
13	Airport Parking / Night Halts at RCS Airports	Zero Charges (initially for 3 years) at Airports/Airstrips owned by the State Government
14	Space at No-Frills Airports for office of airlines upto 100 sqm and aircraft maintenance engaged in RCS in UP	Zero Rental (initially for 3 years) at Airports/Airstrips owned by the State Government
15	Route Navigation and Facilitation Charges (RNFC)	50% of RNFC (upto Rs 2000) will be reimbursed on RCS Airports or flights connecting Divisional Headquarters (initially for 3 years)

अनुलग्नक-I-यू.पी.

उत्तर प्रदेश के मुख्य हवाई अड्डों/हवाई पटिटयों का विवरण

Sl No	Name of the airport/Airstrip	District	State	Airport Operator/ Owner	Runway Length	Runway Width	Boundary Wall	Apron	VIP Lounge	Hanger	Suitable for aircraft ?	Aerial distance (km) of nearby airport/airstrip
1	ChaudhriCharan Singh International Airport	Lucknow	U.P.	AAI	2742 M	45 M	Yes	Yes	Yes	Yes	Airbus 320/Boeing 747	4 KM (BakshiKaTalab, Lucknow)
2	Lal Bahadur Shastri International Airport	Varanasi	U.P.	AAI	2742 M	45 M	Yes	Yes	Yes	Yes	Airbus 320/Boeing 747	113 KM (Allahabad Airport)
3	Gorakhpur Civil Terminal	Gorakhpur	U.P.	IAF/AAI	2743 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Airbus 320/Boeing 747	45 KM (Kushinagar)
4	Agra Civil Terminal	Agra	U.P.	IAF/AAI	2744 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Airbus 320/Boeing 747	18 KM (Aligarh)
5	Bamrauli Civil Terminal	Allahabad	U.P.	IAF/AAI	2477 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Airbus 320/Boeing 747	113 KM (Varanasi Airport)
6	Kanpur Chakeri Civil Terminal	Kanpur	U.P.	IAF/AAI	2744 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Airbus 320/Boeing 747	0 KM (Kanpur Civil)
7	Trishul Airport	Bareilly	U.P.	IAF	2750 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Airbus 320/Boeing 747	52 KM (Moradabad)
8	Sarsawa	Saharanpur	U.P.	IAF	2743 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Airbus 320/Boeing 747	111 KM (Meerut)
9	Dr. Bhim Rao Ambedkar	Meerut	U.P.	GoUP	1500 M	23 M	Yes	Yes	Yes	Yes	Small Aircraft upto 5700 kgs	56 KM (Hindan, Ghaziabad)
10	Faizabad	Faizabad	U.P.	GoUP	1500 M	30 M	Yes	Yes	Yes	Yes	Small Aircraft upto 5700 kgs	10 KM (Sultanpur)
11	Moradabad	Moradabad	U.P.	GoUP	2238 M	30 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	52 KM (Bareilly)
12	Jhansi	Jhansi	U.P.	GoUP/Indian Army	1200 M	23 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	121 KM (Saifai, Etawah)
13	Chitrakoot	Chitrakoot (u/exp)	U.P.	GoUP	2500 M	45 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	66 KM (Allahabad)
14	Dhanipur	Aligarh	U.P.	GoUP	1240 M	25 M	Yes	Yes	Yes	Yes	Small Aircraft upto 5700 kgs	18 KM (Agra)
15	Azamgarh	Azamgarh	U.P.	GoUP	1400 M	23 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	113 KM (Varanasi Airport)
16	Myorpur	Sonbhadra	U.P.	GoUP	1422 M	25 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	112 KM (Varanasi Airport)

Sl No	Name of the airport/Airstrip	District	State	Airport Operator/ Owner	Runway Length	Runway Width	Boundary Wall	Apron	VIP Lounge	Hanger	Suitable for aircraft ?	Aerial distance (km) of nearby airport/airstrip
17	Shravasti	Shravasti	U.P.	GoUP	1450 M	23 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	111 KM (Faizabad)
18	Akbarpur	Ambedkar Nagar	U.P.	GoUP	1820 M	30 M	Yes	Yes	Yes	-	Hawker 900XP	35 KM (Faizabad)
19	Saifai	Etawah	U.P.	GoUP	2500 M	45 M	Yes	Yes	Yes	-	Airbus 320/Boeing 747	118 KM (Farrukhabad)
20	Andhau	Ghazipur	U.P.	GoUP	1580 M	24 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	113 KM (Varanasi Airport)
21	Kasia	Kushinagar (u/ exp)	U.P.	GoUP	3200 M	45 M	Yes	Yes	Yes	-	Airbus 320/Boeing 747	45 KM (Gorakhpur)
22	Amhat	Sultanpur	U.P.	GoUP	1500 M	30 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	10 KM (Faizabad)
23	Paliya	Kheri	U.P.	GoUP	1640 M	23 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	110 KM (Shravasti)
24	Farrukhabad	Farrukhabad	U.P.	GoUP	1228 M	24 M	Yes	Yes	Yes	-	Small Aircraft upto 5700 kgs	100 KM (Kanpur Dehat)
25	Rasoolabad	Kanpur Dehat (u/c)	U.P.	GoUP	2400 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Airbus 320/Boeing 747	100 KM (Farrukhabad)
26	BakshiKaTalab	Lucknow	U.P.	IAF	2472 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Airbus 320/Boeing 747	4 KM (Lucknow)
27	Fursatganj (IGRUA)	Amethi	U.P.	AAI	1850 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Big Aircraft	48 KM (Lucknow)
28	Hindan	Ghaziabad	U.P.	IAF	2743 M	45 M	No	No	-	-	Airbus 320/Boeing 747	30 KM (Meerut)
29	Lalitpur	Lalitpur	U.P.	IAF/AAI	1890 M	45 M	No	No	No	-	Non Operational	112 KM (Jhansi)

अनुलग्नक-।-यू.पी.

आर.सी.एस. में ऑफर नहीं किये गये उत्तर प्रदेश के हवाड्र अड्डों/हवाई पटिटयों का विवरण

Sl No	Name of the airport/Airstrip	District	State	Airport Operator /Owner	Runway Length	Runway Width	Boundary Wall	Apron	VIP Lounge	Hanger	Suitable for aircraft ?	Aerial distance (km) of nearby airport/airstrip
1	Iradatganj	Allahabad	U.P.	IAF	Information not available		No	No	No	-	Abandoned	15 KM (Allahabad)
2	Jagatpur	Rai Bareilly	U.P.	Information not available			No	No	No	-	Abandoned	05 KM (Fursatganj, Rai Bareilly)
3	Jhingura	Mirzapur	U.P.	IAF	Information not available		No	No	No	-	Abandoned	30 KM (Varanasi)
4	Kanpur (Civil)	Kanpur Nagar	U.P.	AAI	1128 M	45 M	Yes	Yes	-	-	Aircraft upto 5000 kgs	0 KM (Chakeri Kanpur)
5	Kanpur (Kalyanpur)	Kanpur Nagar	U.P.	IIT Kanpur	1000 M	-	Yes	Yes	-	-	Info. not available	17 KM (Chakeri Kanpur)
6	Madhosingh	Bhadohi	U.P.	GoUP	Information not available		No	No	No	-	Abandoned	30 KM (Varanasi)
7	Phaphamau	Allahabad	U.P.	IAF	Information not available		No	No	No	-	Abandoned	13 KM (Allahabad)
8	Pirthiganj	Pratapgarh	U.P.	Information not available			No	No	No	-	Abandoned	17 KM (Allahabad)
9	Rajwari	Varanasi	U.P.	Information not available			No	No	No	-	Abandoned	27 KM (Varanasi)
10	Sah-baj-quli	Ghazipur	U.P.	Information not available			No	No	No	-	Abandoned	11 KM (Ghazipur)
11	Sardarnagar	Gorakhpur	U.P.	Information not available			No	No	No	-	Abandoned	10 KM (Gorakhpur)

Annexure- II.UP

Possible new routes

(This is only a suggestive list subject to fulfilling MoCA, GoI criterion. Please refer the GOI, Bidding documents for the status of eligible airports for RCS flights)

A: Non RCS Routes- eligible for state incentives

1. Lucknow-Varanasi
2. Lucknow-Gorakhpur
3. Varanasi-Gorakhpur
4. Lucknow-Jaipur
5. Lucknow-Dehradun
6. Lucknow-Bhopal

B: Divisional headquarters RCS routes:

1. Lucknow-Agra
2. Lucknow-Allahabad
3. Lucknow-Bareilly
4. Lucknow-Faizabad
5. Lucknow- Meerut
6. Lucknow-Saharanpur
7. Lucknow-Moradabad
8. Lucknow-Aligarh
9. Lucknow-Shravasti (Devipattan)
10. Lucknow-Azamgarh
11. Lucknow-Jhansi
12. Lucknow-Chitrakoot
13. Lucknow- Muirpur (Sonebadra, Mirzapur)

C: Other RCS Routes:

14. Lucknow-Bareilly-Meerut
15. Allahabad-Bareilly-Meerut
16. Lucknow-Moradabad-Saharanpur
17. Lucknow-Aligarh-Ghaziabad
18. Lucknow-Shravasti-Gorakhpur-Kushinagar-Sarnath
19. Gorakhpur-Kushinagar-Sarnath
20. Gorakhpur- Meerut
21. Kanpur-Faizabad(Ayodhya)-Allahabad (Prayag)
22. Lucknow-Sonbhadra-Chitrakoot
23. Agra-Allahabad
24. Ghaziabad-Allahabad
25. Meerut-Allahabad

D: Inter-state RCS Routes

1. Lucknow-Bareilly-Dehradun
2. Delhi-Bareilly-Allahabad
3. Delhi-Allahabad
4. Allahabad-Dehradun
5. Allahabad-Lucknow-Nagpur
6. Lucknow-Bhopal-Ujjain
7. Lucknow-Varanasi-Patna
8. Agra-Lucknow-Kolkata
9. Lucknow-Jhansi-Bhopal
10. Lucknow-Bhopal-Mumbai
11. Varanasi(Kashi)-Allahabad(Prayag)-Nemisharanya (Sitapur)-Haridwar-Nemisharanya